

नागौर जिले के हरिमा में लाइम स्टोन की माइनिंग लीज आवंटन का मामला

तीगल रिपोर्टर | जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने नागौर जिले के हरिमा में ई-ऑक्शन के जरिए अंबुजा सीमेंट को माइनिंग लीज आवंटित करने के लिए जारी किए गए डिक्लेरेशन को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए बिड को अपास्त कर दिया। कोर्ट ने नए सिरे से ई-ऑक्शन करने के आदेश दिए हैं, जो कम से कम 50 प्रतिशत से बिड शुरू हो। इतनी बिड नहीं आने पर याचिकाकर्ता को कम से कम 50 प्रतिशत बिड पर कायम रहने का एफिडेविट पेश करना होगा। कोर्ट

समझ में नहीं आता सरकार हजारों करोड़ रुपए के नुकसान वाली बिड अलॉट कैसे कर लेती है: हाईकोर्ट

ने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा, कि समझ में नहीं आता सरकार हजारों करोड़ रुपए के नुकसान वाली बोली के साथ कैसे खड़ी नजर आती है। कोर्ट सरकारी खजाने को इस तरह हो रहे नुकसान पर चुप नहीं बैठ सकती, अगर सरकार को ऐसा करने से रोका नहीं गया तो हजारों करोड़ का नुकसान होना तय है।

जेएसडब्ल्यू सीमेंट (सज्जन जिंदल ग्रुप मुंबई) की ओर से अधिवक्ता सुधीर गुप्ता व रमित मेहता ने याचिका दायर की। नागौर जिले के हरिमा पीथासर में ई-ऑक्शन के जरिए माइनिंग ब्लॉक आवंटन को चुनौती दी

गई। याचिका में बताया गया कि 26 सितंबर 2017 में इस माइनिंग ब्लॉक के लिए हुए ई-ऑक्शन में अंबुजा सीमेंट, अडाणी सीमेंट व जेएसडब्ल्यू ने भाग लिया। अंबुजा सीमेंट की ओर से 41.60 प्रतिशत पर बिड डाली गई। याचिकाकर्ता इससे अधिक बिड डालने वाला ही था, कि वेबसाइट फेल हो गई। इस संबंध में तुरंत मिनरल स्टेट ट्रेडिंग कंपनी को शिकायत दर्ज करवाई, यही कंपनी वेबसाइट संधारित कर रही थी। इसके बावजूद न वेबसाइट शुरू की गई और न ही ऑक्शन स्थगित किया गया। अंबुजा सीमेंट को हाईबिडर मानते हुए उसके पक्ष में डिक्लेरेशन जारी कर

दिया। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि कुछ महीने पूर्व ही इससे छोटे ब्लॉक की नीलामी 67 प्रतिशत तक छूटी थी। इस बड़े ब्लॉक की नीलामी इतनी कम कैसे हो सकती है? इससे सरकार को अगले 50 सालों में 1800-2000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए अंबुजा सीमेंट के पक्ष में माइनिंग ब्लॉक आवंटन के लिए जारी किए गए डिक्लेरेशन को अपास्त कर दिया और नए सिरे से इस माइनिंग ब्लॉक के लिए ई-ऑक्शन करने के निर्देश दिए।